इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 491]    भोपाल, सोमवार, दिनांक 20 दिसम्बर 2021—अग्रहायण 29, शक 1943

**सामान्य प्रशासन विभाग**

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 दिसम्बर 2021

क्र. एफ–6–4–2015–एक(1).– भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, मध्यप्रदेश राज्य सेवा परीक्षा नियम, 2015 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात :–

संशोधन

**उक्त नियमों में, -**

**1. नियम-2 में, शीर्षक "परिभाषाएं" के अंतर्गत (झ) के पश्चात निम्नानुसार परिभाषा जोड़ी जाए, अर्थात :-**

**(ञ) "शिथिलीकरण" से अभिप्रेत है आवेदक व्दारा आवेदन एवं परीक्षा शुल्क में छूट तथा यात्रा व्यय प्रतिपूर्ति को छोड़कर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी द्वारा किसी पद विशेष के लिये विभाग के भर्ती नियमों में अन्य छूट प्राप्त की गई है।**

**(ट) "अनारक्षित" वर्ग में, आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के ऐसे अभ्यर्थी भी शामिल है, जिन्होंने शिथिलीकरण का लाभ नहीं लिया है ।**

**2. नियम-4 में उप नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात-**

**(1) (क) (एक) प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर, विज्ञापित रिक्तियों के 20 गुना की संख्या में प्रवर्गवार अभ्यर्थियों को इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए मुख्य परीक्षा हेतु सफल**

घोषित किया जाएगा, कि अभ्यर्थियों ने उतने न्यूनतम उत्तीर्णांक अर्जित किए हों, जितने कि आयोग व्दारा विनिर्दिष्ट किए जाएं। इसके अतिरिक्त, अन्य सभी अभ्यर्थियों को भी, जो "कट आफ अंकों" के बराबर अंक प्राप्त करते हैं, मुख्य परीक्षा हेतु अर्ह घोषित किया जाएगा।

(दो) सर्वप्रथम प्रारंभिक चरण में अनारक्षित वर्ग का कट ऑफ निर्धारित किया जाएगा। इसके उपरांत आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के ऐसे अभ्यर्थी जो अनारक्षित वर्ग (जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग भी शामिल है) के निर्धारित "कट ऑफ" से अधिक या बराबर अंक प्राप्त करते हैं एवं जिन्होंने समय-समय पर संबंधित वर्ग को देय शिथिलीकरण का लाभ लिया हैं, को सूची से पृथक कर संबंधित वर्ग में शामिल किया जाएगा।

(तीन) व्दितीय चरण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों की वर्गवार/प्रवर्गवार पृथक-पृथक सूचियाँ तैयार कर आरक्षित अभ्यर्थियों का वर्गवार/प्रवर्गवार "कट ऑफ" निर्धारित किया जाएगा।

(ख) महिलाओं एवं भूतपूर्व सैनिकों को इस संबंध में समय-समय पर राज्य शासन द्वारा जारी नियमों तथा अनुदेशों के अनुसार सभी वर्गों में आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। उपरोक्त उपखण्ड (1)(क)(एक) के अधीन गुणानुक्रम के आधार पर तैयार की गई इस सूची में सम्मिलित महिला, भूतपूर्व सैनिक एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थी विभिन्न वर्गों (अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य

पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) में जिससे कि वे संबंधित हैं, की गणना पूर्ति हेतु प्रवर्ग में सम्मिलित किया जाएगा।

(ग) समस्त पाँचों सूचियाँ बनाने के पश्चात् मुख्य परीक्षा हेतु पात्र अभ्यर्थियों की संयुक्त सूची बनाई जाएगी तथा अनुक्रमांकवार परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा।

3. नियम 4 के उप नियम (2) के खण्ड (क), खण्ड (ख), खण्ड (ग) एवं खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किए जाएं, अर्थात-

(2) (क) (एक) मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर, विज्ञापित रिक्तियों के 03 गुना की संख्या में प्रवर्गवार अभ्यर्थियों को, इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए साक्षात्कार हेतु सफल घोषित किया जाएगा, कि अभ्यर्थियों ने उतने न्यूनतम उत्तीर्णांक अर्जित किए हों, जितने कि आयोग व्दारा विनिर्दिष्ट किए जाएं। इसके अतिरिक्त, अन्य सभी अभ्यर्थियों को भी, जो "कट आफ अंकों" के बराबर अंक प्राप्त करते हैं, साक्षात्कार हेतु अर्ह घोषित किया जाएगा

(दो) सर्वप्रथम प्रारंभिक चरण में अनारक्षित वर्ग का कट ऑफ निर्धारित किया जाएगा। इसके उपरांत आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के ऐसे अभ्यर्थी जो अनारक्षित वर्ग (जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग भी शामिल है) के निर्धारित "कट ऑफ" से अधिक या बराबर अंक प्राप्त करते हैं एवं जिन्होंने समय-समय पर संबंधित वर्ग को देय शिथिलीकरण का लाभ लिया हैं, को सूची से पृथक कर संबंधित वर्ग में शामिल किया जाएगा।

(तीन) व्दितीय चरण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों की वर्गवार/प्रवर्गवार पृथक-पृथक सूचियाँ तैयार कर आरक्षित अभ्यर्थियों का वर्गवार/प्रवर्गवार "कट ऑफ" निर्धारित किया जाएगा।

(ख) महिलाओं एवं भूतपूर्व सैनिकों को इस संबंध में समय-समय पर राज्य शासन द्वारा जारी नियमों तथा अनुदेशों के अनुसार सभी वर्गों में आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। उपरोक्त उपखण्ड (2)(क)(एक) के अधीन गुणानुक्रम के आधार पर तैयार की गई इस सूची में सम्मिलित महिला, भूतपूर्व सैनिक एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थी विभिन्न वर्गों (अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) में जिससे कि वे संबंधित हैं, की गणना पूर्ति हेतु प्रवर्ग में सम्मिलित किया जाएगा।

(ग) समस्त पाँचों सूचियाँ बनाने के पश्चात् साक्षात्कार हेतु पात्र अभ्यर्थियों की संयुक्त सूची बनाई जाएगी तथा अनुक्रमांकवार परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा।

4. नियम-4 में उप नियम (3) के खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात-

(3) (क) (एक) साक्षात्कार के पश्चात आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की प्रावीण्य-सूची उनके द्वारा मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर गुणानुक्रम अनुसार तैयार की जाएगी। समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का प्रावीण्यता क्रम आयोग के आदेश द्वारा विहित मापदण्ड के अनुसार अवधारित होगा।

(दो) सर्वप्रथम अनारक्षित वर्ग (जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग भी शामिल है) की सूची तैयार की जाएगी। इसके उपरांत आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के ऐसे अभ्यर्थी जो अनारक्षित वर्ग (जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग भी शामिल है) की सूची में शामिल हैं एवं जिन्होंने समय-समय पर संबंधित वर्ग को देय शिथिलीकरण का लाभ लिया हैं, को सूची से पृथक कर संबंधित वर्ग में शामिल किया जाएगा।

(तीन) द्वितीयत: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों की पृथक-पृथक सूचियाँ तैयार की जाएंगी।

(चार) सभी वर्गों में महिलाओं एवं भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को नियमों तथा समय-समय पर इस संबंध में राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार क्षैतिज आरक्षण का लाभ दिया जाएगा।

(पांच) ऐसे दिव्यांगजनों की विभिन्न श्रेणियों (लोकोमोटर डिसेबिलिटी /दृष्टिबाधित अथवा कम दृष्टिबाधित/श्रवणबाधित अथवा कम सुनने वाले/बहुविकलांगता) के लिए विज्ञापित पदों हेतु केवल उसी श्रेणी के दिव्यांगजनों को चयनित किया जाएगा।

(छ:) ऐसे महिला, भूतपूर्व सैनिक एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थी जो विभिन्न वर्गों (अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) में उनकी प्रावीण्यता के आधार पर पूर्व में ही चयनित हो चुके हैं, की गणना उसी प्रवर्ग के आरक्षित पदों के विरूद्ध की जाएगी।

(सात) ऐसे महिला, भूतपूर्व सैनिक एवं दिव्यांग अभ्यर्थी जो अपनी प्रावीण्यता के आधार पर चयनित नहीं हुए हैं, को विभिन्न प्रवर्गों (अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) में जिससे कि वे संबंधित हैं, संबंधित प्रवर्ग में सम्बंधित श्रेणी के प्रावीण्यता सूची के सबसे नीचे से अभ्यर्थियों को विलोपित कर समायोजित किया जाएगा।

5. नियम 4 के उप नियम (3) के खण्ड (घ) के उप खण्ड (तीन) को विलोपित किया जाए ।

F 6-4-2015-One (1).- In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh State Service Examination Rules, 2015, namely :–

**AMENDMEDNTS**

In the said rules-

1. In rule 2, in clause (i), for the full stop, the semi-colon shall be substituted and thereafter the following clauses shall be added, namely :-

"(j) 'relaxation' means any benefit availed by the applicant of reserved category other than exemption in application and examination fee and reimbursement of travelling expenses and any other relaxation being given by the department in its service rules of any specific post;

(k) 'unreserved" category includes candidates belonging to the reserved categories (Scheduled Castes, Scheduled tribes, Other Backward Classes and Economically Weaker Sections) who have not availed the benefit of relaxation.".

2. For the sub rule (1) of rule 4, the following sub rule shall be substituted, namely :-

(1) (a) (i) On the basis of marks obtained in the preliminary examination category wise candidates 20 times the number of advertised vacancies shall be declared successful for the main examination subject to the condition that the candidates have secured such minimum passing marks as may be specified by the Commission. In addition, all other candidates who have obtained marks equal to the 'cut off marks' shall also be declared qualified for the main examination.

(ii) First of all, the cut off marks of unreserved category shall be determined. After this, those candidates belonging to the reserved category (Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Economically Weaker Sections) who have obtained marks more than or equal to the prescribed "cut off" of the unreserved category and who have taken the benefit of relaxations from time to time, shall be included in the respective category by separating them from the list of unreserved category.

(iii) In the second phase, category-wise cut off marks of the reserved candidates shall be determined by preparing category-wise separate lists of candidates belonging to Scheduled Castes,

Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Economically Weaker Sections.

(b) Reservation benefits shall be given to female and ex-servicemen in all categories as per rules and instructions issued in this regard by the State Government from time to time. Under the above sub-clause (1) (a) (i) female, ex-servicemen and persons with disabilities (PwD), (locomotors disability/visually impaired or low vision/deaf or low hearing/multiple disability) in their concerning categories (Unreserved, Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Economically Weaker Sections) which they belong to shall be included to complete the remaining count.

(c) After preparation of all the five lists, a common list of eligible candidates shall be prepared and thereafter the result shall be declared roll number wise.

3. In rule 4 sub rule (2) for clause (a), clause (b), clause (c) and clause (d), the following clauses shall be substituted, namely :-

(2) (a) (i) On the basis of marks obtained in the main examination, category-wise candidates with three times the number of advertised vacancies shall be declared successful for the interview, subject to the condition that the candidates have secured such minimum passing marks as may be

prescribed by the Commission. In addition, all other candidates who obtained marks equal to the cut off marks shall also be declared qualified for interview.

(ii) First of all, the cut off marks of unreserved category shall be determined. After this, those candidates belonging to the reserved category (Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Economically Weaker Sections) who have obtained marks more than or equal to the prescribed "cut off" of the unreserved category and who have taken the benefit of relaxations from time to time, shall be included in the respective category by separating them from the list of unreserved category.

(iii) In the second phase, category-wise cut off marks of the reserved candidates shall be determined by preparing category-wise separate lists of candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Economically Weaker Sections.

(b) Reservation benefits shall be given to female and ex-servicemen in all categories as per rules and instructions issued in this regard by the State Government from time to time. Under the above sub-clause (2) (a) (i) female, ex-servicemen and persons with disabilities (PwD),

(locomotors disability/visually impaired or low vision/deaf or low hearing/multiple disability) in their concerning categories (Unreserved, Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Economically Weaker Sections) which they belong to, shall be included to complete the remaining count.

(c) After preparation of all the five lists, a common list of eligible candidates for interview shall be prepared thereafter the result shall be declared roll number wise.

4. In rule 4 sub rule (3) for clause (a) the following clause shall be substituted, namely:-

(3) (a) (i) After the interview, the merit list of the candidates shall be prepared by the Commission on the basis of the total marks obtained by them in the main examination and interview. The order of merit of the candidates securing equal marks shall be determined as per the criteria prescribed by the order of the Commission.

(ii) First of all, a list of unreserved category (which includes Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Economically Weaker Sections) shall be prepared. After this, those candidates belonging to the reserved category (Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Economically Weaker

Sections) included in the unreserved category (which also includes Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Economically Weaker Sections) who have taken the benefit of relaxations from time to time, shall be included in the respective category by separating them from the list of unreserved category.

(iii) Secondly, separate lists of candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Economically Weaker Sections shall be prepared.

(iv) Women and ex-servicemen candidates in all categories shall be given the benefit of horizontal reservation as per the rules and instructions issued by the State Government in this regard from time to time.

(v) For the posts advertised for various categories of persons with disabilities (PwD), (locomotors disability/visually impaired or low vision/deaf or low hearing/multiple disability) only the persons of that disability category shall be selected.

(vi) Such female, ex-servicemen and differently-abled candidates who have already been selected on the basis of their merit in different categories (Unreserved/Scheduled Castes/ Scheduled Tribes /Other Backward Classes and Economically weaker Sections) shall be counted as reserved for the same category against the posts.

(vii) Such female, ex-servicemen and differently-abled candidates who have not been selected on the basis of their merit, shall be adjusted to the various categories (Unreserved/Scheduled Castes/ Scheduled Tribes /Other Backward Classes and Economically weaker Sections) which they belong to by replacing least merit candidate of the respective categories.

5. Rule 4 sub rule (3) clause (d) sub clause (III) is omitted.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**गिरीश शर्मा**, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2021.